

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर


पृष्ठांकन क्रमांक C/A.7.1 / जबलपुर, दिनांक 04/02/2019.

प्रतिलिपि:-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.)
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.)
3. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
4. रजिस्ट्रार, प्रशासन/जिला स्था./कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
5. मेम्बर सेक्रेटरी (एस.सी.एम.एस.), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
7. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
8. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. लेखाधिकारी (सैट), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
10. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
11. अनु. अधि., स्थापना/बजट/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
12. सहायक स्थापना/पेंशन/वेतन पत्रक/वेतन निर्धारण/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,

की ओर, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक 2326/3024/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 22-12-2018 उच्च न्यायालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अंगीकृत करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न:- म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
के परिपत्र क्रमांक 2326/3024/2018/नियम/चार
भोपाल, दिनांक 22-12-2018 की प्रतिलिपि.


31.1.19
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
Pur

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पंजी क्रमांक 6413/18/21-ब(एक)

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर, 2018

प्रति,

✓ श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय,
उच्च न्यायालय,
जबलपुर। म.प्र.

विषय:—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के लिफ्टमैन एवं ग्रंथपाल को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराए जाने हेतु समयमान स्वीकृत करने बाबत।

संदर्भ:—आपका ज्ञापन क्रमांक डी/3245 दिनांक 04.05.2018

—0—

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव के अनुसार वित्त विभाग द्वारा जारी समयमान वेतनमान का आदेश क्र. 2326/3024/18/नियम/चार दि. 22.12.2018 द्वारा ग्रंथपाल एवं लिफ्टमैन को समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया है, वित्त विभाग के आदेश की छायाप्रति समुचित कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर प्रेषित हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार आदेश की छायाप्रति।

to sufl
(मंगाचरण शर्मा) 29.12.18

अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

High Court of Madhya Pradesh JABALPUR 16 JAN 2019 Reg No. 2110 Receipt Clerk High Court Jabalpur

RA
26.1.19

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक २३२६/3024/2018/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22-12-2018

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विधि एवं विधायी कार्य विभाग, म.प्र.

विषय :- मध्यप्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु समयमान वेतनमान (Time Scale Pay) उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ :- वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ 11/1/2008 / नियम / चार, दि 24-01-2008, क्रमांक एफ-11-17/2014/नियम/चार दिनांक 30-9-2014

राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञाप की अपेक्षा अनुसार अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 11-07-2018 में परिशिष्ट-2 में विधि एवं विधायी कार्य विभाग के निम्नांकित संवर्गों/सेवा को भी सम्मिलित किये जाने की अनुशंसा की गई है।


2. उपर्युक्त अनुशंसा के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा सीधी भरती से नियुक्त निम्नानुसार संवर्गों/सेवाओं को परिशिष्ट-2 में शामिल किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

विभाग- विधि एवं विधायी कार्य

स. क्र.	संवर्ग/पद	वर्तमान पे बैंड + ग्रेड वेतन	प्रथम उच्चतर वेतनमान (पे बैंड+ग्रेड वेतन)	द्वितीय उच्चतर वेतनमान (पे बैंड+ग्रेड वेतन)
1	3	4	5	6
1.	ग्रंथपाल द्वितीय श्रेणी	15600-39100 +5400	15600-39100 +6600	15600-39100 +7600
2.	लिफ्टमेन चतुर्थ श्रेणी	5200-20200 +1900	5200-20200 +2400	5200-20200 +2800

3. समयमान वेतनमान स्वीकृति के लिये वित्त विभाग द्वारा पूर्व आदेशों में निहित प्रावधान यथास्थिति लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अजय चौबे)

उप सचिव


म०प्र०शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा. क्रमांक 2321/3024/2018/नियम/चार
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 22-12-2018

1. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
2. रजिस्ट्रार (प्रशासन) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर म०प्र०
3. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।



(आर० के० बाजपेयी)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग